

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/360/2000-01

दिनांक:

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री आइवन पीटर्स, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री आइवन पीटर्स, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षिता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	393 दिनांक 07.04.2001
(ग) जन्मतिथि	07.11.1942
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती डीरिस पीटर्स
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	-
2. (क) सेवानिवृत्त	30.11.2000
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	(37400-67000 ग्रे०पे० 8900)
(घ) वेतन	14550/- / 19550/-
(ङ) मूल पेंशन	6914/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	2765/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	4149/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	6914/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	4365/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	63 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण-

(क) पेमेंटिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	66389/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन :	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) :	66389/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	2765/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये :	63624/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

महोदय,

(मदन बिहारी गुप्ता)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1336 /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/360/2000-01

दिनांक: 10/10/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. श्री आइवन पीटर्स, से०नि० अवर अभियन्ता, 115, त्रिमूर्ति नगर, फेज-2, सरोजनी नगर लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(मदन बिहारी गुप्ता)
लेखाधिकारी (पेंशन)

(मदन बिहारी गुप्ता)
लेखाधिकारी (पेंशन)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

पंजीकृत-

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6279/14-15 दिनांक:

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री राम सिंह, सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक(वि०श्रे०) की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री राम सिंह, सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक(वि०श्रे०) की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	5323 दिनांक 09.03.2015
(ग) जन्मतिथि	01.01.1955
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती आशा सिंह
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	15.11.1965
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	31.12.2014
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	-
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	27230 + 6600 = 33830
(ङ) मूल पेंशन	16915/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	6766/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	10149/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	16915/- दि० 31.12.2019 तक
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	10149/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	9
(ख) निर्धारित वेतन	87700/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	43850/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	43850/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	6766/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	37084/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	43850/(31.12.2021 तक)
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	26310/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या 1337 / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6279/14-15

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई(पेंशन सेल), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. श्री राम सिंह, से०नि० कार्यालय अधीक्षक(वि०श्रे०), एम०एम०-4/31, विनय खण्ड गोमती नगर लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

दिनांक: 10/07/18

(मदन बिहारी वर्मा)
(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

पंजीकृत-

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या 1343/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1576/03-04

दिनांक: 10/10/18

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मुजफ्फरनगर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री रघुनन्दन शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री रघुनन्दन शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	1677 दिनांक 17.03.2004
(ग) जन्मतिथि	01.01.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती प्रकाशवती
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 31.12.2002
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : (16400-20000)
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : (37400-67000 ग्रेड पे0 8900)
 (घ) वेतन : 19100/-
 (ङ) मूल पेंशन : 6221/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 2488/-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 3733/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : लागू नहीं
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 3878/-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 65 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पैमेटिक्स : 13
 (ख) निर्धारित वेतन : 135000/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 67500/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : 66478/-
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 65550/-
 (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 66478/-
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 2488/-
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 63990/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : -
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 40500/-
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : -
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या 1343/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1576/03-04

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मुजफ्फरनगर।
3. श्री रघुनन्दन शर्मा, से०नि० अवर अभियन्ता, 11/272 वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)
(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6625/16-17

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
फैजाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री श्याम कुमार रस्तोगी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री श्याम कुमार रस्तोगी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5693 दिनांक 14.09.2016
(ग) जन्मतिथि	:	08.10.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती रश्मि रस्तोगी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	13.12.1956
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.10.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	(16400-20000)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	(37400-67000 ग्रेड पे 8900)
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	4813/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	1925/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	2888/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	4813/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	2888/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2871/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	66679/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या 1344 /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6625/16-17

दिनांक: 11/10/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, फैजाबाद।
- श्री श्याम कुमार रस्तोगी, से०नि० अवर अभियन्ता, म०न० 1028, बजाजा, पालकी खाना, फैजाबाद।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2491/05-06 दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
फैजाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	2712 दिनांक 05.04.2006
(ग) जन्मतिथि	25.06.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती बिन्नी श्रीवास्तव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	लागू नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	30.06.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	(16400-20000)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	(37400-67000 ग्रेड पे० 8900)
(घ) वेतन	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	10986/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	4394/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	6592/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	6694/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	4394/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	65156/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या 1346 / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2491/05-06
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 11/10/18

पंजीकृत-
पंजीकृत-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, फैजाबाद।
- श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव, से०नि० अवर अभियन्ता, ग्राम व पोस्ट-हियारू पुर लाला का पुरवा बस्ती।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(मदन बिहारी वर्मा) 11/10/18
(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 1169 / 03-04 दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
फैजाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री अशोक कुमार, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

- उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री अशोक कुमार, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-
- पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	1225 दिनांक 10.04.2003
(ग) जन्मतिथि	23.09.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	-
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	-
 - | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त / मृत्यु तिथि | 30.09.2002 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | (16400-20000) |
| (ग) वेतनमान / वेतन बैंड (ग्रेड पे) | (37400-67000 ग्रेड पे 8900) |
| (घ) वेतन | 20000/- |
| (ङ) मूल पेंशन | 7373/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | 2949/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | 4424/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | - |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | - |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | 66 छमाही |
 - दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	139100/-
 - प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार (50%)	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा क्रम होने की स्थिति में	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	2949/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	66601/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	-
 - कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन / पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित / संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

दिनांक: 11/10/18

संख्या 1347 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 1169 / 03-04
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, फैजाबाद।
- श्री अशोक कुमार, सी०नि० अवर अभियन्ता, बेगमगंज गढ़इया फैजाबाद।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

(Signature)
10/10/18

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/ 1326 / 03-04

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
फैजाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	1390 दिनांक 22.08.2003
(ग) जन्मतिथि	25.01.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती पुष्पलता श्रीवास्तव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	15.06.1948
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	31.01.2003
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	(16400-20000)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	(37400-67000 ग्रेड पे० 8900)
(घ) वेतन	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	7213/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	2885/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	4328/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	4463/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	64 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	67443/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) :	67443/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	2885/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये :	64558/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/ 1326 / 03-04

दिनांक: 11/01/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, फैजाबाद।
3. श्री ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, से०नि० अवर अभियन्ता, हाइडिल कालोनी निकट स्टेट बैंक सिविल लाइन फैजाबाद।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4567/10-11

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
बाराबंकी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री यज्ञ प्रसाद श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री यज्ञ प्रसाद श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	4180 दिनांक 22.06.2010
(ग) जन्मतिथि	30.06.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कैतकी श्रीवास्तव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	30.06.2009
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	(37400-67000 ग्रे० पे० 8900)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	(37400-67000 ग्रे० पे० 8900)
(घ) वेतन	58580/-
(ङ) मूल पेंशन	24895/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	9958/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	14937/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	14937/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66. छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेंमेंटिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	152000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	76000/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	76000/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	9958/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	66042/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	45600/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 89 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4567/10-11

दिनांक: 11/11/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बाराबंकी।
3. श्री यज्ञ प्रसाद श्रीवास्तव, सं०नि० अवर अभियन्ता, 5/792, विराम खण्ड, गोमती नगर लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या ४५२/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/६८२/९८-९९

दिनांक: ११/०७/१८

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
बागपत।

सन्दर्भ:- पुनरीक्षित पेंशन प्राधिकार पत्र संख्या ११७६ दिनांक ०१.१०.२०१८ का शुद्धि पत्र।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या १३२० दिनांक २९.१२.२०१७ द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० २३ दिनांक १३.०७.२०१७ एवं आदेश सं० ३१ दिनांक ०४.०९.२०१७ एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० ४४४ दिनांक ११.०४.२०१८ के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र जैन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक ०१.०१.२०१६ से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र जैन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है:-

१. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षिता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	७९१ दिनांक २९.०९.१९९८
(ग) जन्मतिथि	०३.०१.१९४०
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सरला जैन
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	०१.०७.१९५७
२. (क) सेवानिवृत्त	३१.०७.१९९८
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	(१६४००-२००००)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	(३७४००-६७००० ग्रेड पे० ८९००)
(घ) वेतन	१८२००/-
(ङ) मूल पेंशन	२२३८/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	७४६/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	१४९२/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	७७५/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	५८ छमाही

३. दिनांक ०१.०१.२०१६ को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	१३
(ख) निर्धारित वेतन	१३५०००/-

४. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक ०१.०१.२०१६ को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(५०%)	६७५००/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	५९३१९/-
(ग) शासनादेश संख्या १४ दिनांक ०१.०५.२०१८ के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	६५५५०/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक ०१.०१.१६ से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	६५५५०/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	पुनर्स्थापित
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	६५५५०/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	४०५००/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	-

५. कारपोरेशन के आदेश संख्या १३२० दिनांक २९.१२.२०१७ द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० ३९ दिनांक २३.१२.२०१६ के प्रस्तर-४ के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-४ (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक ०१.०१.२०१८ से किया जायेगा। दिनांक ०१.०१.२०१६ से दिनांक ३१.१२.२०१७ की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या ४५२/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/६८२/९८-९९

दिनांक: ११/०७/१८

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बागपत।
- श्री सुरेश चन्द्र जैन, सं०नि० अवर अभियन्ता, द्वारा पापुलर साड़ीहाउस, हनुमान रोड, शामली, मूलनगरनगर।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(मदन बिहारी वर्मा)
(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2290/05-06 दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मुरादाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री विनोद कुमार, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री विनोद कुमार, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है -

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	2530 दिनांक 16.11.2005
(ग) जन्मतिथि	22.06.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मोहिनी मेहरोत्रा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	09.02.1949
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	30.06.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	(16400-20000)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	(37400-67000 ग्रे०पे० 8900)
(घ) वेतन	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	7097/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	2838/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	4259/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	4560/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	2838/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	66712/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या 1374 /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2290/05-06 दिनांक: 12/11/18
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, क्षेत्रीय विद्युत मार नियन्त्रणालय, 400 के०वी० उपकेन्द्र परिसर, मझोला मुरादाबाद को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड-मुरादाबाद।
- श्री विनोद कुमार, से०नि० अवर अभियन्ता, प्रकाश नगर चौराहा मानसरोवर रोड मुरादाबाद।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

पंजीकृत-

पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी (पेंशन)
(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4428/09-10

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
बागपत।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री फकीरचन्द्र त्यागी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री फकीर चन्द्र त्यागी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	: अधिवर्षिता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	: 4119 दिनांक 25.02.2010
(ग) जन्मतिथि	: 01.07.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	: श्रीमती विनोद बाला
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	: अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	: 30.06.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	: (16400-20000)
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	: (37400-67000 ग्रेडपे 8900)
(घ) वेतन	: 20000/-
(ङ) मूल पेंशन	: 9753/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	: 3901/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	: 5852/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	: लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	: 5852/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	: 63 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	: 13
(ख) निर्धारित वेतन	: 139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	: 69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	: 66389/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	: 65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	: 66389/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	: 3901/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	: 62488/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	: -
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	: 41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	: -

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या 1381 /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2304/05-06

दिनांक: 18/10/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बडौत बागपत को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- श्री फकीर चन्द्र त्यागी, से०नि० अवर अभियन्ता, सूर्यनगर बिनोली रोड, बडौत(बागपत)।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)
(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 2327 / 05-06

दिनांक:

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

सन्दर्भ:- पुनरीक्षित पेंशन प्राधिकार पत्र संख्या 951 दिनांक 30.08.2018 का शुद्धि पत्र।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र रावत, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र रावत, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्धता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	2567 दिनांक 08.12.2005
(ग) जन्मतिथि	04.07.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सुलोचना देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	31.07.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	8850-13500
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	15600-39100 ग्रे०पे० 5400
(घ) वेतन	11300/-
(ङ) मूल पेंशन	4990/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	1996/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	2994/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	3030/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	09
(ख) निर्धारित वेतन	69200/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	34600/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	34600/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	1996/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	32604/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	20760/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या 1353 / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 2327 / 05-06

दिनांक: 12/11/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई(पेंशन सेल), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- श्री राजेन्द्र रावत, से०नि० अवर अभियन्ता, ई-1/342, विनय खण्ड, गोमती नगर लखनऊ।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1121/02-03

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मुरादाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री सुखपाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री सुखपाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1068 दिनांक 12.03.2003
(ग) जन्मतिथि	:	01.02.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती अशर्फी देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	03.01.1951
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.01.2002
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	(16400-20000)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	(37400-67000 ग्रे०पे० 8900)
(घ) वेतन	:	18650/-
(ङ) मूल पेंशन	:	5208/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2083/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3125/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3585/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	58 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	135000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	67500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	59319/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2083/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	63467/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	40500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1121/02-03

दिनांक: 12/10/18

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, सामने अम्बेडकर पार्क, सिविल लाइंस मुरादाबाद को सेवापुस्तिका मूलरूप में सलग्न कर प्रेषित।
- श्री सुखपाल सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, म०न०-डी 180, प्रेमनगर, लाईनपार, गली नं०-5 मझोला, मुरादाबाद।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)
(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अमि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 4701/ 10-11

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
बस्ती।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री सैय्यद मोहम्मद मेहदी रिजवी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री सैय्यद मोहम्मद मेहदी रिजवी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षित
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	4320 दिनांक 03.03.2011
(ग) जन्मतिथि	18.05.1950
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती ईश्वरत फात्मा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	31.05.2010
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	(37400-67000 ग्रेड पे 8900)
(घ) वेतन	51440 + 8900 = 60340
(ङ) मूल पेंशन	25055/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	10022/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	15033/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	25055/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	15033/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	156600/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	78300/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	78300/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	10022/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संशोधन न लिया जाये	68278/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	78300/- दि० 17.05.2017 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	46980/- दि० 18.05.2017 से अग्रेतर
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या / मु०अमि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 4701/ 10-11 दिनांक: 12/10/18
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारिषद खण्ड, 220के०वी० उपकेंद्र, गिदही-बस्ती को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बस्ती।
4. श्री सैय्यद मोहम्मद मेहदी रिजवी, से०नि० अवर अभियन्ता, स्काउट भवन के पीछे, गांधी नगर बस्ती।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(मदन बिहारी वर्मा)
(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या /मु०अमि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/665/98-99 दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गोरखपुर।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती सुमावती मिश्रा पत्नी स्व० हरीशंकर मिश्र, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती सुमावती मिश्रा पत्नी स्व० हरीशंकर मिश्र, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	759 दिनांक 16.05.1998
(ग) जन्मतिथि	-
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सुमावती मिश्रा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	06.05.1953
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	08.02.1993
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	(3400-100-3500-125-4800-125-470)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड में)	-
(घ) वेतन	3500/-
(ङ) मूल पेंशन	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	1200/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	600/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	लागू नहीं

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) मेमेटिक्स	11
(ख) निर्धारित वेतन	71800/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मेमेटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	लागू नहीं

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	21540/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (क) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या 1355 /मु०अमि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/665/98-99 दिनांक: 12/11/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिसूचनी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिसूचनी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम गोरखपुर।
3. श्रीमती सुमावती मिश्रा पत्नी स्व० हरीशंकर मिश्र, से०नि० अवर अभियन्ता, C/O अरुण कुमार मिश्र 63जी शंकरपुरी, सेक्टर-3 जंगल सालिकराम, शिवपुर सहबाजगंज, गोरखपुर-273014।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(मदन बिहारी वर्मा)
(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या /मु0अभि0(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 1949/04-05

दिनांक:

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री सुशील श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री सुशील श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है -

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिबर्षता
(ख) पीपीओ संख्या एवं दिनांक	2044 दिनांक 17.12.2014
(ग) जन्मतिथि	04.07.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मंजू श्रीवास्तव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	18.11.1952
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	31.07.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन ब्रेड(ग्रेड में)	(37400-67000 ग्रेड 8800)
(घ) वेतन	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	6987/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	2786/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	4181/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	4268/-
(ञ) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-	86 छमाही

2. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	139100/-

3. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(60%)	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	69550/-

(ङ) राशिकृत पेंशन	2786/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चान न लिया जाये	66764/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

4. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रसार-4 के अनुसार 7 कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आरंभित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का सञ्चान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पत्र आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या /मु0अभि0(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 1949/04-05

दिनांक 12/10/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिसासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परिक्षण खण्ड, बक्सोपुर गोरखपुर को सेवापुस्तिका मूलरूप में सलम कर प्रेषित।
3. अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव, से0नि0 अवर अभियन्ता, 15-बी, ज्ञान विहार हरिहर नगर, पोस्ट-चिनहट, लखनऊ।
5. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(मदन बिहारी वर्मा)
(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: ६२६/६२७, छाठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अमि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4499/09-10

दिनांक:

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री गोपाल माथुर सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक(वि०श्रे०) की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री गोपाल माथुर, सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक(वि०श्रे०) की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है:-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिदम्पता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	4099 दिनांक 08.02.2010
(ग) जन्मतिथि	14.08.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कुसुम माथुर
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	09.05.1956
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	31.08.2006
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	(9300-34800 ग्रेड पे० 5400)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	(9300-34800 ग्रेड पे० 5400)
(घ) वेतन	31430/-
(ङ) मूल पेंशन	15715/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	8286/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	9429/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	15715/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	9429/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2018 को मसिखेतीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	08
(ख) निर्धारित वेतन	82600/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(90%)	41300/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मीटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.18 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	41300/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	8286/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	35014/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	24780/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या 1395 / मु०अमि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4499/09-10 दिनांक 13/01/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

पंजीकृत-

- अभिशासी अभियन्ता, वेब, ३०५० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अभिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- श्री गोपाल माथुर, से०वि० कार्यालय अधीक्षक(वि०श्रे०), 2-अमेठी हाउस, ऐशबाग रोड, लखनऊ-4।
- राजिव, सी०ओ पावर सेक्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(मदन बिहारी वर्मा)
13/01/18

(मदन बिहारी वर्मा)
(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/269/2000-01

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
बस्ती।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री मो० वकील, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री मो० वकील, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक

(ग) जन्मतिथि

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

2.

(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)

(घ) वेतन

(ङ) मूल पेंशन

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

(ण) पेंशन-योग्य अर्हकारी सेवा

3.

दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स

(ख) निर्धारित वेतन

4.

प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में

(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)

(ङ) राशिकृत पेंशन

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

5.

कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

मवदीय

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

दिनांक: 15/07/18

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/269/2000-01

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेंच. उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड, बस्ती को सेवापुस्तिका मूलरूप में सलान कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-बस्ती।
4. श्री मो० वकील, से०नि० अवर अभियन्ता, श्री मो० वकील मु०-माली टोला, गांधी नगर बस्ती।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)

(लेखाधिकारी पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4581/10-11

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गौतमबुद्ध नगर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक

(ग) जन्मतिथि

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)

(घ) वेतन

(ङ) मूल पेंशन

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

(ण) पेंशन योग्य अहंकारी सेवा

3. दिनांक 01.01.2016 को पश्चिमीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) मैट्रिक्स

(ख) निर्धारित वेतन

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)

(ख) पेंशन हेतु अहंकारी सेवा कम होने की स्थिति में

(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)

(ङ) राशिकृत पेंशन

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में वृद्धक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4581/10-11

दिनांक: 15/01/18

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-नोएडा।

3. श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, सं०नि० अवर अभियन्ता, म०न०: डी-73, सेक्टर-II 27, नोएडा।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

M. R. Sharma
12/01/18

(मदन बिहारी वर्मा)

लेखाधिकारी पेंशन

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 5246 / 13-14

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
कानपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री अशोक कुमार सक्सेना, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री अशोक कुमार सक्सेना, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	4309 दिनांक 15.02.2011
(ग) जन्मतिथि	11.08.1950
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती अनीता सक्सेना
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.03.1958
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि 31.08.2010
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान 16400-20000
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) (37400-67000 ग्रेड पे 8900)
 (घ) वेतन 62160/-
 (ङ) मूल पेंशन 31080/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग 12432/-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन 18648/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बड़ी दर पर 31080/- दि० 11.08.2020 तक
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर 18648/-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा 66 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिलेनीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पैमेटिक्स 13
 (ख) निर्धारित वेतन 161300/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) 80650/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में - N/A -
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन - N/A -
 (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) 80650/-
 (ङ) राशिकृत पेंशन 12432/-
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये 68218/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बड़ी हुई दर पर) 80650/- (11.08.2017 तक)
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) 48390/-
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) - N/A -
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जावेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

दिनांक: 16/10/18

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 4689 / 10-11

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. उपमुख्य लेखाधिकारी, विद्युत भुगतान एवं लेखा खण्ड, केनको कानपुर।
3. श्री अशोक कुमार सक्सेना, से०नि० अवर अभियन्ता, 30 जगईपुरवा, पोस्ट-हरजेन्द्रनगर, कानपुर-208007
4. सचिव, उ०प० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)
(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 444 / 01-02

दिनांक:

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
 आदर्श कोषागार,
 लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री महेश प्रसाद अस्थाना, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय, उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री महेश प्रसाद अस्थाना, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- | | | |
|----|--|-----------------------------|
| 1. | पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण | |
| | (क) पेंशन का प्रकार | अधिवर्षता |
| | (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक | 464 दिनांक 22.06.2001 |
| | (ग) जन्मतिथि | 04.07.1942 |
| | (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम | श्रीमती मंजू अस्थाना |
| | (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | 07.12.1942 |
| 2. | (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | 31.07.2000 |
| | (ख) तत्समय लागू वेतनमान | 16400-20000 |
| | (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | (37400-67000 ग्रेड पे 8900) |
| | (घ) वेतन | 19550/- |
| | (ङ) मूल पेंशन | 8697/- |
| | (च) पेंशन का राशिकृत भाग | 2678/- |
| | (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | 4019/- |
| | (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | 8697/- |
| | (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | 4268/- |
| | (ण) पेंशन योग्य अहंकारी सेवा | 63 छमाही |
| 3. | दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण- | |
| | (क) पैमेटिक्स | 13 |
| | (ख) निर्धारित वेतन | 139100/- |
| 4. | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन- | |
| | (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) | 69550/- |
| | (ख) पेंशन हेतु अहंकारी सेवा कम होने की स्थिति में | 66389/- |
| | (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | 65550/- |
| | (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | 66389/- |
| | (ङ) राशिकृत पेंशन | 2678/- |
| | (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये | 63711/- |
| | (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) | 69550/- |
| | (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) | 41730/- |
| 5. | (अ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) | - |
| | कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 29.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे। | |

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
 लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

दिनांक: 16/10/18

संख्या 141 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 444 / 01-02

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसारी अभियन्ता, वेब उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसारी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- श्री महेश प्रसाद अस्थाना, से०नि० अवर अभियन्ता, 7-शक्ति पुमर् बीमा अस्पताल के पीछे, कानपुर रोड लखनऊ।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)
 लेखाधिकारी पेंशन
 कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
 लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2237/04-05

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
अलीगढ़।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री वीर पाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री वीर पाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक

(ग) जन्मतिथि

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पै)

(घ) वेतन

(ङ) मूल पेंशन

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

(ज) पारिवारिक पेंशन बड़ी दर पर

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकटित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स

(ख) निर्धारित वेतन

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में

(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)

(ङ) राशिकृत पेंशन

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

(छ) पारिवारिक पेंशन (बड़ी हुई दर पर)

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

दिनांक 16/10/18

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2237/04-05

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

पंजीकृत-
पंजीकृत-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, अलीगढ़ को सेवापुस्तिका मूलरूप में सलग्न कर प्रेषित।
3. श्री वीर पाल सिंह, सं०नि० अवर अभियन्ता, 21, पुष्पांजलि निकट मंदिर, रामघाट रोड, अलीगढ़।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(मदन बिहारी वर्मा)

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 1149/0-03

दिनांक:

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री हरि शंकर मिश्र, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय, उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री हरि शंकर मिश्र, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1232 दिनांक 25.04.2003
(ग) जन्मतिथि	:	01.01.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती पारवती देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.12.2002
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	(37400-67000 ग्रे०पे० 8900)
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	7309/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2923/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4386/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4463/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	65 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	68497/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	68497/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2923/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	65574/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या 11/16 / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 1149/02-03

दिनांक: 16/10/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- श्री हरि शंकर मिश्र, से०नि० अवर अभियन्ता, 35, पश्चिम बिहार, पतौरी मोड़, मोहान रोड, काकोरी लखनऊ।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)
(लेखाधिकारी (पेंशन))
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/219/2000-01 दिनांक:

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री राम नारायण, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री राम नारायण, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	226 दिनांक 09.10.2000
(ग) जन्मतिथि	04.07.1942
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती पार्वती देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	19.09.1952
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 31.07.2000
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : 8550-13500
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : 15600-39100 ग्रे०पे० 5400
 (घ) वेतन : 10475/-
 (ङ) मूल पेंशन : 4950/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 1980/-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 2970/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : लागू नहीं
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 2970/-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 66 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पेमेंटिक्स : 10
 (ख) निर्धारित वेतन : 65000/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 32500/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : -
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : -
 (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 32500/-
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 1980/-
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 30520/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : -
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 19500/-
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : -
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या 1418 /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/219/2000-01 दिनांक: 16/10/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड-प्रथम, लेसा लखनऊ को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. श्री राम नारायण, से०नि० अवर अभियन्ता, 551क/332च/3 मधुवन नगर आलमबाग लखनऊ।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(मदन बिहारी वर्मा)

(लेखाधिकारी पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2710/06-07 दिनांक:

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री रमा कान्त मिश्रा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री रमा कान्त मिश्रा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिर्वर्षता
(ख) पीपीओ संख्या एवं दिनांक	2921 दिनांक 18.08.2006
(ग) जन्मतिथि	15.05.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती भानुमति मिश्रा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	31.05.2006
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ) वेतन	20850/-
(ङ) मूल पेंशन	10230/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	4092/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	6138/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	10230/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	6255/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन :	-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) :	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	4092/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये :	65458/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	69550/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2710/06-07

दिनांक: 16/10/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, गोमती नगर लखनऊ को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- श्री रमा कान्त मिश्रा, से०नि० अवर अभियन्ता, 631/406 इन्दानगर लखनऊ।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(मदन बिहारी वर्मा)

लेखाधिकारी (पेंशन)

(मदन बिहारी वर्मा)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

पंजीकृत-

पंजीकृत-

पंजीकृत-

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 2409/05-06 दिनांक:

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती सुशीला श्रीवास्तव पत्नी स्व० श्याम बिहारी श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती सुशीला श्रीवास्तव पत्नी स्व० श्याम बिहारी श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशनर
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	2651 दिनांक 27.02.2006
(ग) जन्मतिथि	-
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सुशीला श्रीवास्तव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	48 वर्ष लगभग
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	16.10.2001
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	(6500-11000)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	9300-34800 ग्रे० पे० 4800
(घ) वेतन	8900/-
(ङ) मूल पेंशन	4450/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	2670/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	-

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	8
(ख) निर्धारित वेतन	55200/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) :	-
(ङ) राशिकृत पेंशन	-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये :	-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	16560/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ख) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 2409/05-06 दिनांक: 16/10/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड-तृतीय, इन्द्रलोक उपकेन्द्र विद्युत गृह, लखनऊ को सेवापुरितका मूलरूप में सलग्न कर प्रेषित।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- श्रीमती सुशीला श्रीवास्तव पत्नी स्व० श्याम बिहारी श्रीवास्तव, से०नि० अवर अभियन्ता, सेक्टर एन, हाउस न०: 524, अलीगंज, लखनऊ।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)
(लेखाधिकारी पेंशन)
कारपोरेशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4480/09-10

दिनांक:

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री सुरजन सिंह, सेवानिवृत्त कार्यालय सहायक-प्रथम की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री सुरजन सिंह, सेवानिवृत्त कार्यालय सहायक-प्रथम की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	4123 दिनांक 28.02.2010
(ग) जन्मतिथि	07.01.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती चन्द्रावती सिंह
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड में)
 (घ) वेतन
 (ङ) मूल पेंशन
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

31.01.2004	31.01.2004
2800-4000 / 8550-13500	
(9300-34800 ग्रेड पे 6600)	
11025/-	
5513/-	
2205/-	
3308/-	
लागू नहीं	
3308/-	
66 छमाही	
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पेमेंटिक्स
 (ख) निर्धारित वेतन

9	9
67200/-	
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन
 (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)
 (ङ) राशिकृत पेंशन
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

33600/-	33600/-
लागू नहीं	
लागू नहीं	
33600/-	
2205/-	
31395/-	
लागू नहीं	
20160/-	
लागू नहीं	
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4480/09-10
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक 16/10/18

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. उपसचिव(ट्रस्ट), उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. श्री सुरजन सिंह, से०नि० कार्यालय सहायक-प्रथम, 448/119/166, नगरिया ठाकुरगंज, लखनऊ।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 4220 / 08-09

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
इलाहाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री रामचन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री रामचन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है:-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	: अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	: 3813 दिनांक 11.07.2008
(ग) जन्मतिथि	: 22.03.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	: श्रीमती उर्मिला सिंह
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	: अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	: 31.03.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	: (10650-15200)
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	: (16400-20000)/(37400-67000 ग्रेड पे 8900)
(घ) वेतन	: 20000/-
(ङ) मूल पेंशन	: 10255/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	: 4102/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	: 6153/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	: 10255/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	: 6255/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	: 66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	: 13
(ख) निर्धारित वेतन	: 139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	: 69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	: लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन :	: 65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) :	: 69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	: 4102/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये :	: 65448/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	: लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	: 41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	: लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 4220 / 08-09
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 17/10/18

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड-प्रथम, इलाहाबाद को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम इलाहाबाद।
4. श्री रामचन्द्र सिंह से०नि० अवर अभियन्ता, 3, मालवीय रोड, जार्जटाउन, इलाहाबाद।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(मदन बिहारी वर्मा)

(मदन बिहारी वर्मा)

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1866/04-05

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
इलाहाबाद।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री अमर जीत राव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री अमर जीत राव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षिता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	1949 दिनांक 13.09.2004
(ग) जन्मतिथि	28.07.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती प्रभावती राव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	31.07.2003
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	(10650-15200)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	(16400-20000)/(37400-67000 ग्रेड पे० 8900)
(घ) वेतन	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	6137/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	2454/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	3683/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	6137/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	4268/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	58 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिसूत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	61120/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	2454/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	63096/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1866/04-05

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 17/10/18

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड रामबाग, 1ए कमला नेहरू रोड, इलाहाबाद को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम इलाहाबाद।
- श्री अमर जीत राव से०नि० अवर अभियन्ता, 177/2 म्योर रोड राजापुर, इलाहाबाद।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(मदन बिहारी वर्मा)

लेखाधिकारी (पेंशन)
(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1197/03-04

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
इलाहाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री रवि भागव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री रवि भागव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षिता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	1298 दिनांक 06.06.2003
(ग) जन्मतिथि	23.12.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शारदा भागव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	23.03.1946
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 31.12.2002
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : (16400-20000)
 (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे) : (37400-67000 ग्रे०पे० 8900)
 (घ) वेतन : 20000/-
 (ङ) मूल पेंशन : 6452/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 2580/-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 3872/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : लागू नहीं
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 4268/-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 60 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पैमेटिक्स : 13
 (ख) निर्धारित वेतन : 139100/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 69550/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : 63228/-
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 65550/-
 (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 65550/-
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 2580/-
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 62970/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : लागू नहीं
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 41730/-
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जावेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या 1436 / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1197/03-04

दिनांक: 17/10/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, इलाहाबाद को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम इलाहाबाद।
4. श्री रवि भागव से०नि० अवर अभियन्ता, 136ए किदवाई नगर, अल्लापुर, इलाहाबाद।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)

(मदन बिहारी वर्मा)

कार्यालय लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या /मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 2061 / 04-05

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
इलाहाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री लाल भक्त राज सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री लाल भक्त राज सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षिता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	2162 दिनांक 20.04.2005
(ग) जन्मतिथि	12.10.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	लागू नहीं
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	लागू नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	31.10.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	(16400-20000)
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	(37400-67000 ग्रेडपे 8900)
(घ) वेतन	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	7260/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	2904/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	4356/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	लागू नहीं
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	64 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	67443/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) :	67443/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	2904/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये :	64539/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	लागू नहीं
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या 1437 /मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 2061 / 04-05

दिनांक: 17/10/18

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड-द्वितीय, 132के०वी० सब स्टेशन तेलियरगंज निकट आई०आर०टी० कॉलेज राजीव नगर, इलाहाबाद को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम इलाहाबाद।
- श्री लाल भक्त राज सिंह से०नि० अवर अभियन्ता ग्राम-मैदा, पोस्ट-जारी, जिला-इलाहाबाद।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(मदन बिहारी वर्मा)
19/10/18

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी (पेंशन)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

पंजीकृत-

पंजीकृत-

पंजीकृत-

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या /मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 2445 / 05-06

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
इलाहाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षिता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	2645 दिनांक 25.02.2006
(ग) जन्मतिथि	19.07.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती ज्ञान देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	19.08.1950
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	31.07.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	(10650-325-15200)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	(16400-20000)/(37400-67000 ग्रेड पे० 8900)
(घ) वेतन	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	6658/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	2663/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	3995/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	6658/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	4463/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	60 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	63227/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन :	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) :	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	2663/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये :	62887/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या 1438 /मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 2445 / 05-06

दिनांक: 17/10/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकांसी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिकांसी अभियन्ता, विद्युत विद्युत प्रेषण खण्ड-प्रथम, इलाहाबाद को सेवापुस्तिका मूलरूप में सलग्न कर प्रेषित।
- अधिकांसी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम इलाहाबाद।
- श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव से०नि० अवर अभियन्ता, वाई, डी, त्रिवेणीपुरम, झांसी इलाहाबाद।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2924 / 06-07

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
इलाहाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री सुब्रत दास गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री सुब्रत दास गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है -

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षिता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	3162 दिनांक 06.02.2007
(ग) जन्मतिथि	25.06.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती तपती दास गुप्ता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	05.01.1950
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	30.06.2006
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	(10650-15200)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	(16400-20000)/(37400-67000 ग्रे०पे० 8900)
(घ) वेतन	44700 + 8900 = 53600
(ङ) मूल पेंशन	9130/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	3652/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	5478/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	9130/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	6401/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	57 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	60066/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	3652/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	61898/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या 1437 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2924 / 06-07

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 17/10/18

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय निर्माण खण्ड-प्रथम, इलाहाबाद को सेवापुरितका मूलरूप में सलग्न कर प्रेषित।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम इलाहाबाद।
- श्री सुब्रत दास गुप्ता से०नि० अवर अभियन्ता, 685ए राजरूपुर इलाहाबाद।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(मदन बिहारी वर्मा)

(मदन बिहारी वर्मा)

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1323/03-04

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
इलाहाबाद।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री रामचन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री रामचन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षिता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1386 दिनांक 18.08.2003
(ग) जन्मतिथि	:	27.12.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती चमेली सिंह
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.12.2002
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	(16400-20000)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	(37400-67000 ग्रेड पे 8900)
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	7469/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2987/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4482/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4560/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	65 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	68497/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) :	:	68497/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2987/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	65510/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या 1440 /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1323/03-04
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 17/11/18

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड-प्रथम, 57, जार्ज टाऊन, इलाहाबाद को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम इलाहाबाद।
- श्री रामचन्द्र सिंह से०नि० अवर अभियन्ता, 308/162/1, बी०एच०एस० (तुलसी पार्क), अल्लापुर इलाहाबाद।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा) 17/11/18
लेखाधिकारी (पेंशन)
मदन बिहारी वर्मा
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6067/14-15

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
इलाहाबाद।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री सर्वजीत, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री सर्वजीत, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षिता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	5164 दिनांक 02.08.2014
(ग) जन्मतिथि	06.02.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती हुशायरी देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	29.02.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	(16400-20000)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	(37400-67000 ग्रेड पे 8900)
(घ) वेतन	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	6344/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	2537/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	3807/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	4268/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	59 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	62174/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) :	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	2537/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये :	63013/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या 1441 / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6067/14-15
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 17/10/18

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, इलाहाबाद को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम इलाहाबाद।
- श्री सर्वजीत से०नि० अवर अभियन्ता, सवेरजी खर्ग, पो० बेलवा बजार जिला-देवरिया।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)

(मदन बिहारी वर्मा)

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 678 / 01-02

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
इलाहाबाद।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री गोपाल जी भट्ट, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री गोपाल जी भट्ट, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक

739 दिनांक 22.03.2002

(ग) जन्मतिथि

15.07.1943

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती रील भट्ट

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

24.08.1950

2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि

31.07.2007

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

16400-28000

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)

(37400-67000 ग्रेड पे० 8900)

(घ) वेतन

20000/-

(ङ) मूल पेंशन

7389/-

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

2955/-

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

4434/-

(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

4560/-

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

65 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विद्विष्ट पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स

13

(ख) निर्धारित वेतन

139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)

69550/-

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में

68497/-

(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

65550/-

(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)

68497/-

(ङ) राशिकृत पेंशन

2955/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

65542/-

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

41730/-

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो उस भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 678 / 01-02
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 17/10/18

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

पंजीकृत-

पंजीकृत-

पंजीकृत-

1. अभिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अभिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड-प्रथम, 1ए कमला नैहरू रोड, इलाहाबाद को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अभिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, इलाहाबाद।
4. श्री गोपाल जी भट्ट, सं०नि० अवर अभियन्ता, 28सी/6डी, सर्वोदय नगर, अल्लापुर, इलाहाबाद।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(मदन बिहारी वर्मा)

(मदन बिहारी वर्मा)

(मदन बिहारी वर्मा)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4352/09-10

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
इलाहाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती रेखा रानी चौरसिया पत्नी स्व० शिवचरण चौरसिया, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती रेखा रानी चौरसिया पत्नी स्व० शिवचरण चौरसिया, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख) पीपीओओ संख्या एवं दिनांक	3983 दिनांक 28.07.2009
(ग) जन्मतिथि	-
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती रेखा रानी चौरसिया
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10.03.1955
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	27.09.2006
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	- N/A -
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	(37400+67000 ग्रेड पे 8900)
(घ) वेतन	44960 + 8900 = 53860
(ङ) मूल पेंशन	- N/A -
(घ) पेंशन का राशिकृत भाग	- N/A -
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	- N/A -
(ज) पारिवारिक पेंशन बड़ी दर पर	8888/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	5333/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	50 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) मैट्रिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	- N/A -
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	- N/A -
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	- N/A -
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	- N/A -
(ङ) राशिकृत पेंशन	- N/A -
(घ) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	- N/A -
(छ) पारिवारिक पेंशन (बड़ी हुई दर पर)	- N/A -
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	- N/A -

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4352/09-10 दिनांक 17/10/18
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेंब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड(प्रथम), ए० कमला नेहरू रोड, इलाहाबाद को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, इलाहाबाद।
4. श्रीमती रेखारानी चौरसिया पत्नी स्व० शिवचरण चौरसिया, से०नि० अवर अभियन्ता, 6/15इ, आनन्द नगर, नयी इलाहाबाद।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)
(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6527/15-16

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
जौनपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती शाहिना परवीन पत्नी स्व० शाहिद जमाल खान, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती शाहिना परवीन पत्नी स्व० शाहिद जमाल खान, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5618 दिनांक 03.06.2016
(ग) जन्मतिथि	:	लागू नहीं
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती शाहिना परवीन
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	30.12.1953
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.03.2010/29.04.2010
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेड पे० 8900
(घ) वेतन	:	62160/-
(ङ) मूल पेंशन	:	-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	25055/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	15033/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	-

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	161300/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	48390/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ब) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या 1444 /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6527/15-16

दिनांक: 17/11/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय निर्माण खण्ड-प्रथम, 1, ए कमला नेहरू रोड, इलाहाबाद को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम जौनपुर।
4. श्रीमती शाहिना परवीन पत्नी स्व० शाहिद जमाल खान, सं०नि० अवर अभियन्ता, रिजवी खान कैम्पस, राज होटल, जौनपुर।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)
(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/279/2000-01

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
इलाहाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री वीरपाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री वीरपाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षित

(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक

302 दिनांक 15.12.2000

(ग) जन्मतिथि

18.07.1941

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती शान्ती देवी

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

01.12.1949

2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि

31.07.1999

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

16400-20000

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)

(37400-67900 पे०पे० 8900)

(घ) वेतन

19100/-

(ङ) मूल पेंशन

7015/-

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

लागू नहीं/-

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

4268/-

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स

13

(ख) निर्धारित वेतन

135000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)

67500/-

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में

-

(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

65550/-

(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)

67500/-

(ङ) राशिकृत पेंशन

पुनर्स्थापित

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग

पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

67500/-

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

40500/-

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रसार-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय

(मदन बिहारी वर्मा)

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/279/2000-01

दिनांक: 17/01/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, देव उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता (वितरण), विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-मेयोहाल इलाहाबाद को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।

3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, इलाहाबाद।

4. श्री वीरपाल सिंह, सं०नि० अवर अभियन्ता, 7यू/1, शिवपुरी कालोनी गोविन्दपुर, तेलियरगंज इलाहाबाद।

5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

पंजीकृत-

पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)

(मदन बिहारी वर्मा)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6848/17-18

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
इलाहाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती मीना श्रीवास्तव पत्नी स्व० अजय कुमार, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती मीना श्रीवास्तव पत्नी स्व० अजय कुमार, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है:-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	5914 दिनांक 07.10.2017
(ग) जन्मतिथि	01.01.1959
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मीना श्रीवास्तव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.01.1959
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	16.11.2000
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	(10650-15200)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	19550/-
(ङ) मूल पेंशन	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	6625/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	3975/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	53 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (क) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या 1446 / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6848/17-18

दिनांक: 17/10/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड-प्रथम, 1, ए कमला नेहरू रोड, इलाहाबाद को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम इलाहाबाद।
4. श्रीमती मीना श्रीवास्तव पत्नी स्व० अजय कुमार, सं०नि० अवर अभियन्ता, 276/1 लूकरगंज इलाहाबाद।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)
(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6265/14-15

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री जगदीश प्रसाद जैन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री जगदीश प्रसाद जैन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	5302 दिनांक 06.02.2015
(ग) जन्मतिथि	02.08.1964
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती पुष्पलता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	31.08.2014
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	(15600-39100 ग्रेड 6800)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	(15600-39100 ग्रेड 6800)
(घ) वेतन	34160/-
(ङ) मूल पेंशन	17080/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	6832/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	10248/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	17080/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	10248/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	11
(ख) निर्धारित वेतन	88400/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-	
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	44200/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमान्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	44200/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	6832/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	37368/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	44200/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	26520/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रसार-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

दिनांक: 17/10/18

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6265/14-15

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशायी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशायी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, मोदीनगर।
- श्री जगदीश प्रसाद जैन, सं०नि० अवर अभियन्ता, नेहरू रोड, दून पब्लिक स्कूल के बराबर वाली गली, बड़ौत, जिला-बागपत।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)
(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 1083 / 02-03

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
इलाहाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री श्याम सेवक लाल श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री श्याम सेवक लाल श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है:-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	: अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	: 1149 दिनांक 28.02.2003
(ग) जन्मतिथि	: 01.07.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	: श्रीमती कमला श्रीवास्तव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	: अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	: 30.06.2002
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	: (10650-15200)
(ग) वेतनमान/वेतन ब्रेड(ग्रेड पे)	: (16400-20000)/(37400-67000 ग्रे०पे० 8900)
(घ) वेतन	: 20000/-
(ङ) मूल पेंशन	: 7600/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	: 3040/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	: 4560/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	: 7600/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	: 4560/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	: 66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	: 13
(ख) निर्धारित वेतन	: 139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	: 69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	: लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	: 65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) :	: 69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	: 3040/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये :	: 66510/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	: लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	: 41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	: लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 1083 / 02-03
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 17/10/18

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत नगरीय निर्माण खण्ड-प्रथम, 1 ए कमला नेहरू रोड, इलाहाबाद को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम इलाहाबाद।
- श्री श्याम सेवक लाल श्रीवास्तव से०नि० अवर अभियन्ता, 92 जी/2 न्यू सोहबलिया बाग-इलाहाबाद।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(मदन बिहारी वर्मा) 14/10/18

लेखाधिकारी (पेंशन)
(मदन बिहारी वर्मा)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 1983/04-05

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
इलाहाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती लक्ष्मी सिन्हा पत्नी स्व० ओम प्रकाश सिन्हा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती लक्ष्मी सिन्हा पत्नी स्व० ओम प्रकाश सिन्हा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है:-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	2085 दिनांक 31.12.2004
(ग) जन्मतिथि	08.06.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती लक्ष्मी सिन्हा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	15.10.1951
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	30.06.2004 / (दि० 14.06.2018)
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	(10650-15200)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	(16400-20000) / 37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	13575/- / 20000/-
(ङ) मूल पेंशन	6154/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	2461/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	3693/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	6154/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	4073/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	61 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	64281/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	2461/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	63089/- दिनांक 14.06.2018 तक
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	41730/- दिनांक 15.06.2018 से अग्रेतर
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 1983/04-05

दिनांक: 17/10/18

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशायी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशायी अभियन्ता, विद्युत नगरीय निर्माण खण्ड-प्रथम, 1, ए कमला नेहरू रोड, इलाहाबाद को सेवापुरिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- अधिशायी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम इलाहाबाद।
- श्रीमती लक्ष्मी सिन्हा पत्नी स्व० ओम प्रकाश सिन्हा, से०नि० अवर अभियन्ता, 963 अल्लापुर इलाहाबाद।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)
(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)